(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत 30 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि किसानों को चावल और गेहूं प्रत्येक के एक लाख क्विंटल और मक्का के 40,000 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज वितरित किए जाएंगे । यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों के माध्यम से विशेष कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं और धान प्रत्येक को एक-एक लाख क्विंटल बीज बफर स्टाक के रूप में रखा जाएगा ।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, चुनिन्दा जिलों में प्रति जिला 100 अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोलकर प्रति हैक्टेयर 20 किलोग्राम अतिरिक्त पोषक-तत्व इस्तेमाल किए जाने और पहले से ही उर्वरकों का समुचित स्टाक रखे जाने का प्रस्ताव है ।

**उर्वरक उद्योग को रियायतें**

1235. **श्री रशीद मसूद :**
**श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक उद्योग को कतिपय रियायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस राहत का ब्यौरा क्या है और क्या यह राहत किसानों को उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) :** (क) जी हां ।

(ख) किसानों को 2350 रुपये प्रति टन यूरिया की सांविधिक अधिकतम उपभोक्ता मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की रियायत स्वीकृत की जाएगी । यूरिया की 50 किलो ग्राम की प्रति बोरी पर 8.80 रुपये की रियायत पहली अप्रैल, 1988 से प्रभावी है । उद्योग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यह प्रतिपूरक रियायत पूर्णत: किसानों को मिलनी चाहिए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Irregularities in Modern Food Industries (I) Ltd.**

1236. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether complaints about irregularities, including those against the General Manager, and a demand for a High level Enquiry into the affairs of Modern Food Industries (I) Ltd., Delhi Unit has been received; and

(b) if so, what are the details in this regard and the action taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) Complaints relating to the affairs of the Delhi unit of Modern Food Industries (I) Ltd. have been received. The allegations made are: purchase of maida during February to October, 1987 from one mill instead of getting tenders/quotations from other mills, irregularities in cash purchases, reduction in production of bread, embezzlement in the despatch section, wrongful deduction from the wages of workmen for the co-operative society, suspension of office bearers and an active member of a union, favouritism in appointment/promotion, etc. The allegations have been looked into and found to be without substance.

**Bifurcation of National Film Development Corporation**

1237. SHRI RAOOF VALIULLAH:

SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to stall its decision to delink the Directorate of

Film Festivals from the National Film Development Corporation in view of growing criticism;

(b) whether the views of film makers, film critics and representatives of film Industry are considered necessary before taking a final decision in the matter;

(c) what are the findings of Ashok Mitra Committee; and

(d) whether the transfer of this Directorate to the Ministry has been opposed by Shri Ashok Mitra subsequently, if so, the final decision taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) No, Sir.

(b) The decision was taken after due delebration and taking into account various points of view in this regard.

(c) The main findings of Dr. Ashok Mitra Committee about the functioning of National Film Development Corporation (NFDC) are given in the Annexure. [*See* Appendix CXLVI, Annexure No. 51].

(d) Government have not received any communication from Dr. Ashok Mitra opposing the transfer of the Directorate of Film Festivals from the National Film Development Corporation.

## खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात

1238. **श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों के स्थान पर खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में तिलहनों की पिराई करके इनसे तेल निकालने के लिए चल रही तेल मिलों आदि को उनकी क्षमता के अनुरूप तिलहन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश में तिलहनों के उत्पादन की मात्रा को देखते हुए, इन मिलों को तिलहनों से तेल निकालने की क्षमता क्या है और क्या सरकार तेल मिलों को पूरा माल देने के लिए खाद्य तेलों की अपेक्षा तिलहनों का आयात करने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पिराई की कुल क्षमता लगभग 260–270 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि तिलहनों का उत्पादन क्रमश: 1984–85 में 129.5 लाख मीटरी टन, 1985–86 में 100.3 लाख मीटरी टन तथा 1986–87 में 114 लाख मीटरी टन रहा ।

कृषि पर आधारित उद्योगों की क्षमता का कम उपयोग होना एक आम बात है । तिलहन की पिराई वाले उद्योग में क्षमता का कम उपयोग होने के कई कारण हैं जिनमें पुरानी संयंत्र मशीनरी को आधुनिक बनाने की कोशिश न होना, उच्च ऊर्जा किस्म का न होना जिसके परिणामस्वरूप मिलों को अधिक जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, खास कर सूखे के वर्षों में शामिल हैं ।

सरकार आम तौर पर खाद्य-तेलों की अपेक्षाओं, तिलहनों के आयात संबंधी निश्चित और बदलती रहने वाली अपेक्षाओं तथा मिलने वाले तेलों को प्राप्त करने और वितरित करने में संभार तन्त्र संबंधी और प्रशासनिक समस्याओं जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए तिलहनों के आयात के पक्ष में नहीं है । लेकिन यह प्रस्ताव रखा गया कि सूखे की स्थिति के कारण राष्ट्रीय तिलहन विकास बोर्ड के जरिए केवल सहायता के आधार पर 5 लाख मीटरी टन तिलहनों का आयात किया जाये । वैसे, वास्तविक आयात सहायता की उपलब्धता तथा अन्य विचारणीय बातों पर निर्भर करेगा ।